न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
69/2017	08.05.2017	....

1-ईशरा पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी नटाटा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.......वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र सेड्डूराम
2. शिवराम पुत्र सेड्डूराम
3. कालू पुत्र रामसहाय
4. प्रभाती पत्नि रामसहाय
5. कल्याण सहाय पुत्र चौथू
6. कालूराम पुत्र स्व0 रामनाथ
7. छोटूराम पुत्र स्व0 रामनाथ
8. मंगलराम पुत्र स्व0 रामनाथ
9. रामलाल पुत्र स्व0 रामनाथ
10. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामकिशन
11. मुकेश पुत्र स्व0 रामकिशन
12. धर्मपाल पुत्र स्व0 रामकिशन
13. भौंरी पत्नि स्व0 रामकिशन
14. प्रहलाद पुत्र बिरदा
15. बद्रीनारायण पुत्र बिरदा
16. नाथ्या पुत्र बाल्या
    जातियान मीना निवासी नटाटा, जमवारामगढ जिला जयपुर।
17. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ऐक्ट.</u>

निर्णय

दिनांक 05/01/2018

वादी ने उपरोक्त राजस्व वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0एक्ट0 के तहत वाद पत्र में अंकितानुसार आराजी खसरा नं0 859 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 868 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है कि भूमि वादग्रस्त में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं0 1 से 4 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी सं0 6 लगायत 9 का संयुक्त हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 10 से 13 एवं प्रतिवादी सं0 14 का संयुक्त हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 15 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 16 का हिस्सा 1/6 अनुसार वंशानुगत सहखातेदारी में अंकित है, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य बहामी रूप से बंटवार हो रखा है, जिसके तहत खसरा नं0 859 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 व प्रतिवादी सं0 16 के हित में बहामी बंटवारे अनुसार कब्जे व मालिकाना अधिकार में स्थित है, जिसके अनुसार ही प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 व 16 ने अपने अपने निर्मित मकानात सहित भूमि का उपयोग उपभोग करते आये है। इसी प्रकार विवादित खसरा नं0 868 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण वादी एवं प्रतिवादी सं0 6 लगायत 15 के बहामी बंटवारे अनुसार कब्जे व मालिकाना अधिकार में स्थित है। जिसके अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी सं0 6 लगायत 15 काबिज रहते हुए अपने अपने निर्मित मकानात सहित भूमि का उपयोग उपभोग करते आये है। जो कि पक्षकारों के मध्य उक्त वर्णितानुसार बाहमी बंटवारा मुताबिक मौके पर भूमियों में स्थायी रूप से कब्जा व उपयोग उपभोग है।

वादी के हिस्सा 1/3 अनुसार की भूमि बहामी बंटवारे अनुसार विवादित खसरा नं0 868 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि में पूर्वी दिशा की ओर हिस्सा 1/2 अनुसार भूमि मय कब्जा सहित स्थित चली आ रही है तथा प्रतिवादी सं0 6 लगायत 15 की भूमि हिस्सा 1/2 अनुसार

उपखण्ड अधिकारी

पश्चिमी दिशा की ओर कब्जा सहित स्थित चली आ रही है एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी सं0 16 की भूमि विवादित खसरा नं0 859 रकबा 0.11 हैक्टेयर सम्पूर्ण अनुसार कब्जे सहित चली आ रही है, जिसके अनुसार ही बहक बंटवारा कार्यवाही हक खातेदारी अंकित कराने व राजस्व रिकार्ड में बंटवारा कायम कराने का आश्वासन भी प्रतिवादीगण देते आये है, जिसके अनुसार वादी काबिज काश्तकार खातेदार की हैसियत से बहामी बंटवारे अनुसार खसरा नं0 868 की भूमि में बजमाने बुजुर्गान काबिज काश्त चला आ रहा है। दिनांक 03.05.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि में बाधा दखल व व्यवधान करने तथा मौके कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्डेड बंटवारा कराने से मना कर दिया है। जो कि भूमि खसरा नं0 868 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि को वादी एवं प्रतिवादी सं0 6 लगायत 15 के हक में तथा खसरा नं0 859 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 व 16 के हक में बंटवारे में कायम किया जाकर विधिक तकासमा कराया जावे तथा वादी के बहामी बंटवारे अनुसार हिस्से सहित कब्जे की भूमि का राजस्व रिकार्ड व लगान वादी के हित में प्रतिवादीगण से अलग कराया जावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा तलबी प्रतिवादीगण करने पर दिनांक 30.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प नटाटा में उभय पक्षों को सुना जाकर तकासमें हेतु निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी किया गया, जिसके अनुशरण में तहसीलदार जमवारामगढ को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में कुर्रेजात रिपोर्ट के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

जो कि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय/प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्र कमांक/एलआर/17/9479 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई, जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। जिस पर दिनांक 15.12.2017 को बहस सुनी जाकर पत्रावली में विभाजन हेतु शामिल कुर्रेजात रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा, दस्तावेज को मध्य नजर रखते हुए पत्रावली में हमने ब–गौर अवलोकन व मनन किया, जिसके उपरांत न्यायालय आदेशानुसार पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 859 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 868 रकबा 0.1900 भूमि वाकै ग्राम नटाटा के सम्बन्ध में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाता है तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में आगे/निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर बंटवारा कायम किया जाता हैं।

–:विभाजन की स्थिति:–

1. ईशरा पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा साकिन देह के बंटवारें में खसरा नं0 868/1 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कायम किया जाता है।
2. मूलचन्द, शिवराम पि0 सेडूराम, कालू पुत्र रामसहाय, प्रभाती पत्नि रामसहाय हिस्सा 1/6, कल्याण पुत्र चौथू हिस्सा 1/6, रामनाथ पुत्र नारायण हिस्सा 1/12, रामकिशन, प्रहलाद पि0 बिरदा हिस्सा 1/12, बद्रीनारायण पुत्र बिरदा हिस्सा 1/4 रहन बी0ओ0आई0 कूकस नाथ्या पुत्र बाल्या हिस्सा 1/4 जाति मीना साकिन देह के बंटवारे में खसरा नं0 868 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नं0 859 रकबा 0.1100 हैक्टेयर कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एक दूसरे के कब्जे व उपयोग उपभोग में दखलांदाजी नहीं करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जमवारामगढ (जयपुर)